तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
01.04.2024	पत्रावली पेश हुई।	

अपीलाण्ट अधिवक्ता उपस्थित। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम महादेवपुरा के खेत खसरा संख्या 1495 रकबा 0.01 बीघा भूमि में छपरा व वाड़ा कर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22(2) के तहत दर्ज कर नोटिस जारी किया गया था, नोटिस प्राप्त होने पर अपीलाण्ट द्वारा सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण किया हुआ नही है का जबाब पेश किया गया। तहसीलदार कोर्ट ने अपीलाण्ट को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहैलना करते हुए आदेश पारित कर दिया अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22(2) की कार्यवाही लागू ही नही होते ही है, अपीलाण्ट का संख्या 1495 पर किसी भी प्रकार से कोई अतिकमण किया हुआ नही है, तहसीलदार बाप द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलाण्ट को पश्चातवृति अतिचार करने पर तीन माह का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया था, जबकि अपीलाण्ट स्वयं ने उपस्थित होकर न्यायालय में जबाब पेश किया था कि दिनांक 23.07.2020 को उक्त सरकारी भूमि से कब्जा हटा लिया है इसलिए पुनः अतिकमण करने का दिनांक 08.03.20021 को जो नाटिस दिया गया वह गलत है और इस पत्रावली दिनांक 06.07.2021 को सुनवाई हेतु नियत थी दिनांक 06.07.2021 को अपीलाण्ट अनुपस्थिति में हल्का पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक बयान लिये जाना भी वताया गया है जबकि तहसील कोर्ट की पत्रावली में हल्का पटवारी के बयानो पर अपीलाण्ट के अधिवक्ता को किसी प्रकार की कोई जिरह का अवसर नही दिया गया। जिससे साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार कोर्ट ने एक तरफ कार्यवाही अमल में लायी जाकर सुनवाई का जवाब बंद कर दिया गया जिससे साफ जाहिर होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपने जबाब एवं दस्तावेजात साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। तहसीलदार कोर्ट ने आदेश पारित करते समय जल्दबाजी दिखाते हुए फाईल में सोर्टकट अपनाते हुए फैसल कर दी है जो न्यायिक प्रकिया के अनुसार विधिवत आदेश नही है हल्का पटवारी ने बिना कोई सीमाकन करवाये अपीलाण्ट के विरूद्ध मामला दर्ज करवाया गया है तहसीलदार कोर्ट द्वारा मामले में दस्तावेजो को संलग्न करते तो अपील में यह बात आवश्यक रूप से आती की अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है तथा 0.01 बिस्वा भूमि पर किसी प्रकार की कोई फसल भी नही ली जा सकती है इसलिये अधिनस्त तहसीलदार कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया गया है जो काबिल खारिज के है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अतिक्रमण के संदर्भ में पटवारी की टिप्पणी की जॉच की गई जिसमें पश्चा[illegible] अतिक्रमण का वर्णन है। अतः तहसीलदार के निर्णय में कोई विसंगती नहीं पाई गई [illegible] अतिक्रमी था।

अतः अपील खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.24 21:10:49 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी